जनपद हरदोई

प्रेस नोट- थाना संडीला **दिनांक 20.06.2025**

थाना संडीला पुलिस द्वारा 05 शातिर चोरों को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार कर उनके द्वारा विभिन्न चोरियों की घटनाओं से संबंधित सामान की बरामदगी करने के संबंध में-

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.06.2025 को वादी मो0 आदिल पुत्र मो0 आशिक अली निवासी मोहल्ला सैनिक कालोनी थाना को0 शहर जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाना संडीला पर तहरीर दी गयी कि वादी अपनी इनोवा गाड़ी से जनपद लखनऊ से शाहजहांपुर जा रहे थे। थाना संडीला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त विकास व उनके कुछ अन्य साथियों द्वारा वादी को रोककर उनकी इनोवा गाड़ी छीन ली गई। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना संडीला पर मु0अ0सं0 219/25 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरदोई द्वारा उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

कार्यवाही-

थाना संडीला पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों से संबंधित नामजद/प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. विशाल उर्फ मटरू उर्फ शिवकुमार पुत्र रामासरे निवासी धनसुआ थाना फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद 2. अशरफ अली पुत्र तजीर शाह निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई 3. इशरत अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई 4. अरशद अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई 5. आलम अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर एक अदद इनोवा गाडी (छीनी गई), एक अदद स्विफ्ट डिजायर(काला रंग), एक अदद स्विफ्ट डिजायर (सफेद रंग घटना में प्रयुक्त), एक अदद बुलेरो(घटना में प्रयुक्त), एक अदद मोटरसाइकिल(घटना में प्रयुक्त), 2360 लीटर डीजल (चोरी किया गया), 1,10,720 रुपये नगदी व 03 अदद तंमचे मय 04 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विशाल उपरोक्त अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद के विभिन्न स्थानों पर डीजल चोरी की घटना कारित कर चुका है। अभियुक्त विशाल

उपरोक्त व उसके अन्य साथी जनपद फर्रुखाबाद से थाना माधौगंज क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त असरफ उपरोक्त के घर आकर रुकते थे तथा अपने कपडें बदलते थे । जिसके पश्चात अभियुक्त असरफ व उसके तीन पुत्र (इशरत अली, अरशद अली व आलम अली) उनकों डीजल तेल चोरी करने हेतु आवश्यक उपकरण व गाड़ी उपलब्ध कराते थे । अभियुक्त विशाल व उसके साथी रात्रि में सड़क किनारे खडे वाहनों की रैकी कर उनसे डीजल चोरी करते थे तथा चोरी किए गए डीजल को अभियुक्त असरफ को कम कीमत पर बेच देते थे । थाना संडीला क्षेत्रांतर्गत वादी से गाड़ी छीनने का उद्देश्य था कि उक्त वाहन का प्रयोग कर क्षेत्र में अन्य चोरी की घटनाएं कारित की जा सकें ।
इनके द्वारा थाना संडीला के अतिरिक्त थाना बिलग्राम, बघौली व कछौना से चोरी की घटनाएं कारित की गयी हैं । गिरफ्तार अभियुक्त इशरत अली उपरोक्त थाना माधौगंज का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है ।

नोट- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद हरदोई द्वारा घटना के अनावरण करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है ।

अनावरित अभियोगों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 166/25 धारा 305c/317(2) बीएनएस थाना संडीला जनपद हरदोई ।
2. मु0अ0सं0 277/25 धारा 303/317(2) बीएनएस थाना बिलग्राम जनपद हरदोई ।
3. मु0अ0सं0 170/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बघौली जनपद हरदोई ।
4. मु0अ0सं0 222/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कछौना जनपद हरदोई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विशाल उर्फ मटरू उर्फ शिवकुमार पुत्र रामासरे निवासी धनसुआ थाना फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद ।
2. अशरफ अली पुत्र तजीर शाह निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।
3. इशरत अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।
4. अरशद अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।
5. आलम अली पुत्र अशरफ अली निवासी ग्राम जेहदीपुर थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त विशाल उर्फ मटरू उर्फ शिवकुमार)

1. मु0अ0सं0 153/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद ।
2. मु0अ0सं0 154/21 धारा 3/10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम कोतवाली फतेहगढ जनपद फर्रुखाबाद ।
3. मु0अ0सं0 105/19 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद ।
4. मु0अ0सं0 45/24 धारा 379 भादवि0 थाना बिलग्राम जनपद हरदोई ।
5. मु0अ0सं0 433/23 धारा 457/380 भादवि0 थाना बिलग्राम जनपद हरदोई ।
6. मु0अ0सं0 457/23 धारा 457/380 भादवि0 थाना मल्लावां जनपद हरदोई ।
7. मु0अ0सं0 195/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को0 फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद ।
8. मु0अ0सं0 595/24 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना बिलग्राम जनपद हरदोई ।
9. मु0अ0सं0 54/21 धारा 323/504/506/427 भादवि0 थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त अशरफ अली)

1. मु0अ0सं0 276/20 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त इशरत अली)

1. मु0अ0सं0 236/18 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना माधौगंज जनपद हरदोई ।

2. मु0अ0सं0 39/24 धारा 376डी/452/328 भादवि0 थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर।

आपराधिक इतिहास- (अभियुक्त अरशद अली)

1. मु0अ0सं0 274/20 धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट थाना माधौगंज जनपद हरदोई।
2. मु0अ0सं0 295/24 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना माधौगंज जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद इनोवा गाडी (UP 31M 4500)
- एक अदद स्विफ्ट डिजायर(काला रंग)
- एक अदद स्विफ्ट डिजायर (सफेद रंग घटना में प्रयुक्त)
- एक अदद बुलेरो(घटना में प्रयुक्त)
- एक अदद मोटरसाइकिल(घटना में प्रयुक्त)
- 2360 लीटर डीजल (चोरी किया गया)
- 1,10,720 रुपये नगदी
- 03 अदद तंमचे मय 04 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 विजय कुमार थाना संडीला जनपद हरदोई।
2. व0उ0नि0 सुनील मिश्रा थाना संडीला जनपद हरदोई।
3. उ0नि0 नीरज कुमार थाना संडीला जनपद हरदोई।
4. उ0नि0 अमित कुमार सिंह थाना संडीला जनपद हरदोई।
5. उ0नि0 अनुज कुमार थाना संडीला जनपद हरदोई।
6. उ0नि0 अमरेश कुमार थाना संडीला जनपद हरदोई।
7. उ0नि0 मोहित चौहान थाना संडीला जनपद हरदोई।
8. हे0का0 दिवाकर मिश्रा थाना संडीला जनपद हरदोई।
9. का0 देवानन्द थाना संडीला जनपद हरदोई।

10.का0 कृष्णमूर्ती थाना संडीला जनपद हरदोई।

12.का0 राजेश यादव थाना संडीला जनपद हरदोई।

पुलिस टीम पूर्वी जोन-

1.का0 जितेन्द्र सिंह पुलिस लाइन

2.का0 त्रिवेश कुमार थाना कोतवाली देहात

3.का0 मंजेश कुमार थाना कोतवाली शहर

4.का0 बृजनंदन थाना कोतवाली शहर

5.का0 प्रदीप कुमार स्पेशल टीम पूर्वी जोन